न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12 / 97 / 2025 रजि० नं0 2025 / प्रवेश तिथि 14.07.2025

अपीलार्थी :–	प्रत्यर्थी :–
रामप्रकाश पुत्र रामौतार जाट निवासी ग्राम नीमलाका तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथत जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :– दिनांक 15.09.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथत जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथत जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथत जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) से जरिये नोटिस क्रमाक 1029 दिनांक 23.07.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 29.07.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित हुआ।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथत जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) ने जर्ये पत्राक लो.सू.अ. / प्र.अ. / खैरथल–तिजारा / 2025 / 1188 दिनाक 18.08.2025 के द्वारा जवाब पेश करते हुऐ पूर्व में ही प्रेषित जवाब की प्रति संलग्न कर भिजवायी गयी है, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2025 में वर्णित तथ्यो पर बिन्दूवार जवाब अपीलार्थी को भिजवाया जा चुका है, किन्तु अपेक्षित जवाब अपीलार्थी को विलम्ब से भिजवाया गया है, जो विधिक प्रावधानो के विरूद्व है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथत जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) को हिदायत दी जाती है, कि भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो में नियत समयवधि का विशेष ध्यान रखते हुऐ विधिक–प्रावधानोनुसार ही कार्याही की जावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथत जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा समुचित जवाब प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही है, अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।
7. आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

([illegible])
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)